

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2010—ज्येष्ठ 14, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2010

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) इस विभाग के
समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा श्री विनोद कुमार,
आयएएस., आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन का एक्स-इंडिया
अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16
मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति
प्रदान की गई है. उक्त अवकाश की अवधि में श्री एस. बी. सिंह,
आयएएस., आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को प्रभार सौंपा
गया है.

(2) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए
श्री विनोद कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. बी. सिंह के
स्थान पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस., आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ
आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार
सौंपा जाता है.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2010
की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-743-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. बी.
सिंह, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक
28 मई से 5 जून 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 6 जून
2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., कलेक्टर जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-486-आयएएस-तीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश की अवधि में श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-194-2010-5-एक.—श्रीमती रजनी उइके, भाप्रसे (1999), उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. ई-5-561-आयएएस-तीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्मारव, आयएएस., कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 21 मई से 11 जून 2010 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 19 मई से 9 जून 2010 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री टी. धर्मारव की अवकाश की अवधि में श्रीमती एम. गीता, आयएएस., कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्मारव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री टी. धर्मारव द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम. गीता, कमिश्नर, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री टी. धर्मारव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्मारव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-816-आयएएस-तीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश की अवधि में श्री ए. के. बाजपेयी, अपर कलेक्टर, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजीव सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. बाजपेयी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. ई-1-144-2010-5-एक.—श्री एस. के. पाल, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम की सेवाएं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से वापिस लेते हुए अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे (1986), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-370-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आई. एस. दाणी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग को दिनांक 1 से 11 जून 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. एस. दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-523-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएस., प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश की अवधि में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे परियोजना संचालक, आईसीडीएस, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती शिखा दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई. 5-757-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कोचर, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अरूण कोचर की अवकाश की अवधि में श्री अशोक कुमार शाह, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) तथा डीएमआई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण कोचर द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र. ई-1-7-2009-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भाप्रसे के 2009 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाए जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है:—

स.क्र.	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री तरूण कुमार पिथोड़े	उज्जैन
2	सुश्री सूफिया फारूकी	इन्दौर
3	श्री अजय गुप्ता	शहडोल
4	श्री अविनाश लवानिया	ग्वालियर
5	श्री धनराजू एस.	भोपाल
6	सुश्री प्रियंका दास	जबलपुर
7	श्री अभिषेक सिंह	छिन्दवाड़ा
8	सुश्री प्रीति मैथिल	सागर
9	श्री इलैयाराजा टी.	सिवनी
10	श्री तेजस्वी एस. नायक	होशंगाबाद
11	श्री अमित तोमर	जबलपुर
12	श्री श्रीकांत बनोट	धार

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2010

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 19 से 26 मई 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री शैलेन्द्र सिंह की अवकाश की अवधि में श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार दास, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-791-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 17 से 25 मई 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश की अवधि में श्री संजीव सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजीव सिंह, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-832-आयएस-लीव-एक-5.—श्री अश्विनी कुमार राय, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2010 द्वारा दिनांक 11 से 29 मई 2010 तक, उन्नीस दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 मई से 11 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 12, 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2010

क्र. ई-5-291-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री ओ. पी. रावत, आयएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 1 से 5 जून 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ओ. पी. रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ. पी. रावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ ए-5-2-2010-एक (1).—राज्य शासन द्वारा, माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 30-11-2009 से 10-12-2009.	11	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ ए-5-6-2010-एक (1).—राज्य शासन द्वारा, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सैयद रफत आलम, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 4-2-2010 से 11-2-2010.	08	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2010

क्र. ई. 5-395-आयएस-लीव-एक-5.—श्री एम.एम. उपाध्याय, आयएस., तत्कालीन राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 21 अप्रैल से 7 मई 2010 तक, सत्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

- (1) दिनांक 21 से 27 अप्रैल 2010 तक, सात दिन
- (2) दिनांक 29 अप्रैल से 7 मई 2010 तक, नौ दिन।

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2010 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 12 से 21 अप्रैल 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2010 की शेष कंडिकार्यें यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. ई. 5-462-आयएस-लीव-5-एक.—श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मई 2010 द्वारा दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र. बी-8-04-2010-2-एक.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती मनीषा शर्मा, राज्य प्रशासनिक सेवा वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर, जबलपुर के अनुरोध पर उनके विवाहोपरान्त उप नाम में परिवर्तन कर "श्रीमती मनीषा सेंटिया" करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उपरोक्तानुसार नाम परिवर्तन की प्रविष्टि श्रीमती मनीषा सेंटिया के सेवा अभिलेखों में की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पन्त, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2010

क्र. एफ. 13-06-2010-एक-4.—(1) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 से 29 मई 2010 तक कुल (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी की अवकाश अवधि में राज्य शिष्टाचार अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री बी. आर. विश्वकर्मा, उप सचिव, सामान्य प्रशासन को सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. वैष्णव, अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

क्र. एफ. 11-36-06-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन, एतद्वारा मान. श्री पदमपाणि तिवारी, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 25 से 27 मार्च 2010 तक के तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. पर यात्रा हेतु अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. पगारे, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

क्र. आर-2045-05-बारह-1.—मेसर्स सरडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा जिला बालाघाट में मोंगनीज अयस्क के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 50 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में से 36.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का समर्पण किया गया है। इस क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960, के नियम 59 (1) (क) को प्रयोग में लाते

हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
1	21° 55' 06''	80° 01' 18''
2	21° 56' 26''	80° 03' 03''
3	21° 56' 08''	80° 08' 03''
4	21° 54' 02''	80° 09' 51''
5	21° 54' 31''	80° 03' 10''
6	21° 53' 01''	80° 01' 13''
7	21° 54' 03''	80° 00' 18''
8	21° 54' 15''	80° 01' 34''
9	21° 55' 20''	80° 03' 30''
10	21° 55' 30''	80° 05' 13''
11	21° 55' 23''	80° 06' 30''
12	21° 55' 57''	80° 06' 25''
13	21° 56' 02''	80° 05' 20''
14	21° 56' 05''	80° 04' 21.7''
15	21° 55' 57''	80° 03' 15''
16	21° 55' 25''	80° 02' 21.7''
1	21° 55' 06''	80° 01' 18''

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन" 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

क्र. आर-2045-05-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 13 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2010

No. R-2045-05-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule, 1960, the State

Government hereby declare throw open an area of 36.60 Km² out of 50 Km² in Balaghat district which was previously held by M/s Sarda Energy & Minerals Limited, for the reconnaissance operations of Manganese ore, under reconnaissance permit, which has now been surrendered. Details of the area are as below:—

Pts. (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	21° 55' 06''	80° 01' 18''
2	21° 56' 26''	80° 03' 03''
3	21° 56' 08''	80° 08' 03''
4	21° 54' 02''	80° 09' 51''
5	21° 54' 31''	80° 03' 10''
6	21° 53' 01''	80° 01' 13''
7	21° 54' 03''	80° 00' 18''
8	21° 54' 15''	80° 01' 34''
9	21° 55' 20''	80° 03' 30''
10	21° 55' 30''	80° 05' 13''
11	21° 55' 23''	80° 06' 30''
12	21° 55' 57''	80° 06' 25''
13	21° 56' 02''	80° 05' 20''
14	21° 56' 05''	80° 04' 21.7''
15	21° 55' 57''	80° 03' 15''
16	21° 55' 25''	80° 02' 21.7''
1	21° 55' 06''	80° 01' 18''

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2010

अ सूचना क्र. 4-10-अठारह-3-क्र. एफ-6-7-2009-18-3.—राज्य शासन भेलसा रामलीला मेला समिति के गठन के संबंध में भेलसा रामलीला मेला विधान, 1956 (क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तीन वर्ष के लिये एतद्द्वारा निम्नानुसार भेलसा रामलीला मेला समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को सदस्य तथा सचिव नियुक्त करता है:—

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|-------|
| 1. | श्री पंडित गोविन्द प्रसाद शास्त्री | : | सदस्य |
| 2. | श्री नरेन्द्र कुमार सोनी | : | सदस्य |
| 3. | श्री सुरेश शर्मा, अहमदपुर वाले | : | सचिव. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. अहिरवार, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2010

क्र. एफ. 1(ए)23-77-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2010 द्वारा श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 24 मई से 11 जून 2010 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 23 मई एवं 12, 13 जून 2010 का विज्ञापित अवकाश जोड़ते हुए अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के साथ "लेह-लद्दाख" (जम्मू कश्मीर) जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2010 द्वारा श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को उपरोक्त अनुसार प्रदान की गई अवकाश यात्रा अनुमति के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण सुविधा निगमों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा-1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

क्र. एफ. 1(ए)55-94-ब-2-दो.—(1) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 मई से 11 जून 2010 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30 मई, 6, 12 एवं 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. बी. एस. ठाकुर की अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस

मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कार्य के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ. 1(ए)154-1993-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 मई 2010 तक, कुल छह दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 23 एवं 30 मई 2010 के विज्ञापित अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2010

“चेरापूजी (मेघालय)” जाने की अनुमति दी जाती है :-

क्र. एफ. 1(ए)18-2004-ब-2-दो.—श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र भोपाल को दिनांक 29 मई से 4 जून, 2010 तक, सात दिवस का अर्जित अवकाश (विदेश में) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

- (1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
- (2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
- (3) विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

2. श्री अभय सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण क्षेत्र, भोपाल संभाग भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री अभय सिंह, भापुसे, द्वारा पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक उत्तर क्षेत्र, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ. 1(ए)256-88-ब-2-दो.—श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 17 मई, 2010 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ

- | | | | |
|-----|----------------------|---|-------|
| (1) | श्री अनिल कुमार | — | स्वयं |
| (2) | श्रीमती सिमी कुमार | — | पत्नी |
| (3) | श्री अक्षत सिद्धान्त | — | पुत्र |

(3) श्री अनिल कुमार, भापुसे की उक्त अवकाश की अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता-2), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ किया जायेगा.

(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 06 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(5) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(7) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ. 1(ए)105-93-ब-2-दो.—श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल को दिनांक 15 से 26 जून, 2010 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27 जून, 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “गृह जिला रीवा” जाने की अनुमति दी जाती है :-

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------|
| (1) | श्री एम. पी. द्विवेदी | — | स्वयं |
| (2) | श्रीमती नलिनी | — | पत्नी |
| (3) | श्री अंकुर द्विवेदी | — | पुत्र |
| (4) | श्री विपुल द्विवेदी | — | पुत्र |

(3) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किसी अन्य अधिकारी से कराये जाने हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी.

(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 12 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(5) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे द्वारा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(7) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ. 1(ए)185-91-ब-2-दो.—(1) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम), विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 10 मई 2010 तक, कुल पाँच दिवस का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम), विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2010

फा. क्र. 17 (ई) 22-2010-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री व्ही. बी. शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद की सेवाएं अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 17 (ई) 40-2009-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री अफसर जावेद खान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जावरा, जिला रतलाम की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मई, 2010

फा. क्र. 3 (ए) 4-2010-इक्कीस-ब-(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 को तदर्थ रूप से फास्ट ट्रेक न्यायालयों में, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश के पद पर, स्थानापन्न रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, नियुक्त करता है :—

1. डॉ. रमेश साहू
2. श्री जयप्रकाश सिंह
3. श्री विजय चन्द्रा
4. श्री श्रीपाल यादव
5. श्री दिलीप कुमार मित्तल
6. श्री शिवकान्त पाण्डे
7. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)
8. श्री मोहन पी. तिवारी
9. श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव

10. श्री हरीश कुमार कौशिक
11. श्री अनिल कुमार सिंह
12. श्री संजय कुमार द्विवेदी
13. श्री विवेक कुमार गुप्ता
14. श्री किसना अतुलकर
15. श्री प्रकाश चन्द्र
16. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य
17. श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(4) के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल में पदस्थ निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी को, सेवानिवृत्ति दिनांक 31-5-2010 के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख दिनांक अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पहले हो), कुटुम्ब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है।

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(4) के अन्तर्गत होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	62 वर्ष पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री लीलाराम थदानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.	22-5-2012

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2010

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(5) के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त निम्नलिखित न्यायिक सदस्यों को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो), कुटुम्ब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद

पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है।

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(5) के अन्तर्गत होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	62 वर्ष पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अब्दुल हमीद शेख पटेल	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.	31-12-2011
2	श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	13-1-2012

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है।

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	श्री नवल किशोर गर्ग, संचालक, लोक अभियोजक, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2	श्री सुशील कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.	4	श्रीमती कनकलता सोनकर, चतुर्थ अपर न्यायाधीश, रीवा.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
3	श्रीमती आशा भटनागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.	5	श्रीमती दुर्गा डाबर, विशेष न्यायाधीश, अ.जा., अनु.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायालय, रायसेन.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. एफ-3-114-2003-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-114-2003-बत्तीस, दिनांक 6 अगस्त 2008 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा उज्जैन	3752/7 3724/2	0.118 आरे.	सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक	आवासीय

योग . . . 0.118 आरे.

(2) उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश**गृह (सामान्य) विभाग**

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2010

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-46-2010-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 19 जुलाई 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :—

प्र. पत्र (1)	प्रश्नपत्र का विषय (2)	समय (3)
सोमवार, दिनांक 19 जुलाई 2010		
1.	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).	— "—
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	— "—
4.	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	— "—
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— "—
59.	विद्युत् संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— "—
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	— "—
मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010		
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.	— "—

(1)	(2)	(3)
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	—''—
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	—''—
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—''—
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—''—

बुधवार, दिनांक 21 जुलाई 2010

20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	—''—
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	—''—

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	— " —
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	— " —
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	— " —
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— " —
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	— " —

गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010

33.	प्रश्न प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	— " —
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— " —

(1)	(2)	(3)
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	—''—
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—''—

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 56. | द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक. |
| 57. | प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) | —”— |

शनिवार, दिनांक 24 जुलाई 2010

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 58. | हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 10.00 बजे से
12.00 बजे तक. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

- नोट:—**(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई, 2010 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- (5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. पी. जैन, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-10-2010-दस-3.—चूँकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 18 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2006, दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूँकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—देवरी, वनमंडल—नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर, वनपरिक्षेत्र—नौरादेही

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अरसी-अ	अरसी	संरक्षित वन	54 60	53.68 45.28	138 150	17.70 22.26	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम अरसी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 11 से 1अ तक. पूर्व—अरसी आरक्षित वन कक्ष क्र. 304 पी की वन क्रमांक स्तंभ क्र. 1 अ से 1 ब तक. दक्षिण—अरसी आरक्षित वन कक्ष क्र. 304 पी की सीमा स्तंभ क्रमांक 1 ब से 17 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम अरसी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 17 से 11 तक.
				योग . .	98.96 एकड़ या 40.06 हेक्टर.	योग . .	40.06	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-10-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-10-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-10-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2006 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 18th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Division-Noradehi (Wild Life) Sagar, Tehsil-Deori, Range-Noradehi

S. No.	Name of Forest		Present Category of land	Area			Area in Hectare	Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village		Old Khasra No.	New Khasra No.	Area in Hectare		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Arsi-A	Arsi	Protected Forest	54 60	53.68 45.28	138 150	17.70 22.36	North —Artificial cut Boundary line from Demarcation Pillar No. 11 to 1A of Village Arsi. East —Arsi Reserved forest C.N. 304 P Boundary from Pillar No. 1A to 1-B. South —Arsi Reserved forest CN 304 P Boundary from Pillar No. 1-B to 17. West —Artificial cut line from Demarcation Pillar No. 17 to 11 of Village Arsi.
				Total	98.96		40.06	
					Acre or 40.06 Hectare		Hectare	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-14-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भोपाल राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3635 दिनांक 2 जुलाई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—देवरी, डिवीजन—दक्षिण सागर (सामान्य) रेंज—गौरझामर

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	खटौला उत्तर	खटौला	संरक्षित वन	1	66.82 या 27.03 हेक्टर.	1	27.03	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ क्रमांक 1 से 21 तक. पूर्व—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ क्रमांक 21 से 13 तक. दक्षिण—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ क्रमांक 13 से 6 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ क्रमांक 6 से 1 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-14-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-14-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-14-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 3635 dated 2nd July 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 13th August 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Division-South Sagar (Territorial), Tehsil-Deori, Range-Gorjhamar

S. No.	Name of Forest			Area			Boundaries	
	Name of forest Block	Name of Village	Present. Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.		Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Khatola (North)	Khatola	Protected Forest	1	66.82 Or 27.03 hec.	1	27.03	North —Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 1 to 21 of Village Khatola. East —Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 21 to 13 of Village Khatola. South —Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No.13 to 6 of Village Khatola. West —Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 6 to 1 of Village Khatola.
Total . .							27.03 hec.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-17-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 18 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2006 दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—देवरी, वनमंडल नौरादेही (व. प्रा.) सागर वनपरिक्षेत्र—नौरादेही

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल			सीमाएँ	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रमखिरिया ब-1	रमखिरिया	संरक्षित वन	01 17.17	एकड़ या 6.95 हेक्टर.	01	6.95	उत्तर—भैंसवाही आरक्षित वन सी. नं. 269 पी. सीमा स्तंभ क्रमांक 11 से 16 तक. पूर्व—भैंसवाही आरक्षित वन सी. नं. 269 की सीमा स्तंभ क्रमांक 16 से 20 तक. दक्षिण—कृत्रिम कटी हुई सीमा रेखा ग्राम रमखिरिया के सर्वे स्तंभ क्रमांक 20 से 13 तक. पश्चिम—रमखिरिया नाला स्तंभ क्रमांक 13 से 11 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-17-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-17-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-17-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2006 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 18th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a

reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Tehsil-Deori, Division- Noradehi (W.L.) Sagar, Range-Noradehi

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of lane	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ramakhiria E-1	Ramakhiria	Protected Forest	01	17.17 Acare or 6.95 Hect.	01	6.95 Hect.	North —Reserved Forest C. N. 269 P Boundary of Bhaivahi Village from Pillar No. 11 to 16. East —Bhaivahi reserved CN. 269 Boundary Survey Pillar No. 16 to 20. South —Artificial cut line of Village Ramakhiria Boundary from Pillar No. 20 to 13. West —Ramakhiria Nala Boundary from Pillar No. 13 to 11.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDE, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-21-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3635, दिनांक 2 जुलाई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—केसली, डिवीजन दक्षिण सागर (सामान्य) रेंज—सागर

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वन का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रेंगाझोली	रेंगाझोली	संरक्षित वन	1	19.42 एकड़ या 7.85 हेक्टर.	79/1	7.85	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम रेंगाझोली के सर्वे स्तंभ क्रमांक 1 से आरक्षित वन सी. नं. 1043 के स्तंभ नं. 1-अ तक.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

पूर्व—वसा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1043 के मुनारा क्र. 1-अ से 7 तक.

दक्षिण—वसा आरएफ कक्ष क्र. 1043 के सर्वे स्तम्भ क्र. 7 से रेंगाझौली की कट लाइन के स्तम्भ क्रमांक 5 तक.

पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम रेंगाझौली के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 5 से 1 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-21-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-21-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-21-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 3635 dated 2nd July 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 13th August 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Tehsil-Sagar, Division- South Sagar (Teritorial) Range-Sagar

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of lane	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rengajholi	Rengajholi	Protected Forest	01	19.42 Acare or 7.85 hect.	79/1	7.85	North—Artificial cut Boundary Line of from demarcate Pillar No. 1 Rf. Basa C.N. 1043 Pillar No. 1 A of Village Rengajholi. East—Basa Reserved Forest compartment No. 1043 from Piller No. 1 A to 7.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

South—Basa R. F. C.N. No. 1043 from survey Pillar No. 7 to Village Rengajholi cut line Pillar No. 5.

West—Artificial cut Boundary Line from survey Pillar No. 5 to 1 of Village Rengajholi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDE, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-25-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957, दिनांक 18 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—रहली, वनमंडल—नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर, वनपरिक्षेत्र—मोहली

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	देवलपानी (उत्तर)	देवलपानी	संरक्षित वन	28	29.60	76	6.61	उत्तर—देवलपानी आरक्षित वन सी.एन. 121 सीमा स्तंभ क्रमांक 10/10 से 12/12 तक.
				111	0.13	39/2	3.09	पूर्व—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 12/2 से 4/4 तक.
				योग . .	29.73	11/2	2.32	दक्षिण—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ 4/4 से 8/8 तक.
					एकड़		हेक्टर.	पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 8/8 से 10/10 तक.
					या			
					12.02			
					हेक्टर.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-25-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-25-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-25-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Division-Noradehi (Wild Life) Sagar, Tehsil-Garhakota, Range-Mohli

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Devalpani (North)	Devalpani	Protected Forest	28 111	29.60 0.13	76 39/2 11/2	6.61 3.09 2.32	North—Devalpani C.N. 121 Reserve forest Boundary from Demarked Piller No. 10/10 to 12/12. East—Artificial Boundary line from Demarked pillar No.12/12 to 4/4 of Village Devalpani. South—Artificial Boundary line from Demarked pillar No. 4/4 to 8/8 of Village Devalpani. West—Artificial Boundary line from Demarked pillar No. 8/8 to 10/10 of Village Devalpani.
				Total	29.73 Acre or 12.02 Hectare.		12.02 Hectare.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-26-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957, दिनांक 18 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—रहली, वनमंडल—नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर, वनपरिक्षेत्र—मोहली

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल			सीमाएँ	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.		क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	देवलपानी (पूर्व)	देवलपानी	संरक्षित वन	117 111	69.90 0.75	155	28.60 28.60	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 6/6 से 12/12 तक. पूर्व—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 12/12 से 14/14 तक. दक्षिण—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 14/14 से 18/18 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 18/18 से 6/6 तक.
					70.65 एकड़ या 28.60 हेक्टर.	योग . .	28.60 हेक्टर.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-26-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-26-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-26-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Division-Noradahi (Wild Life) Sagar, Tehsil-Garhkota, Range-Mohli

S. No.	Name of Forest			Area			Boundaries	
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.		Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Devalpani (East)	Devalpani	Protected Forest	117 111	69.90 0.75	155	28.60	North —Artificial Boundary line from Demarked Pillar No. 6/6 to 12/12 of Village Devalpani. East —Artificial Boundary line from Demarked pillar No.12/12 to 14/14 of Village Devalpani. South —Artificial Boundary line from Demarked pillar No. 14/14 to 18/18 of Village Devalpani. West —Artificial Boundary line from Demarked pillar No. 18/18 to 6/6 of Village Devalpani.
				Total	70.65		28.60	
					Acre or 28.60 Hectare.		Hectare.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-29-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957, दिनांक 18 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—रहली, वनमंडल—नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर, वनपरिक्षेत्र—मोहली

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल			सीमाएँ	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पटना-अ	पटना	संरक्षित वन	124 305	6.59 0.04	4 346/1	2.50 0.17	उत्तर—मोहली आरक्षित वन सीमा स्तंभ क्रमांक 1 से 2 तक. पूर्व—मोहली आरक्षित वन सीमा स्तंभ क्रमांक 2 से 5 तक. दक्षिण—पटना नाला सीमा स्तंभ क्रमांक 5 से 6 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम पटना के सर्वे स्तंभ क्रमांक 6 से 1 तक.
					6.63		2.67	
					एकड़		हेक्टर.	
					या			
					2.67			
					हेक्टर.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-29-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-29-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-29-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a

reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Division-Noradehi (Wild Life) Sagar, Tehsil-Rahli, Range-Mohli

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Patna-A	Patna	Protected Forest	124 305	6.59 0.04	4 346/1	2.50 0.17	North —Mohli Reserved Forest Boundary from Piller No. 1 to 2. East —Mohli Reserved Forest Boundary from Piller No. 2 to 5. South —Patna Nala Boundary from Piller No. 5 to 6. West —Artificial cut line Village Patna Demarcated from pillar No. 6 to 1.
					6.63		2.67	
					Acre		Hectare.	
					or 2.67		Hectare.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-30-2010-दस-3.—चूँकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 21 मई 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2026, दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूँकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—खुरई, डिवीजन—उत्तर (सामान्य) सागर, रेंज—बांदरी

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सेमरा अटा	सेमरा अटा	संरक्षित वन	1 20	62.49 10.07	1 2	23.75 4.50	उत्तर—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा क्रमांक 176 से 172 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2	8.92	10/1	1.18	पूर्व—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक
				11	8.34	10/2	2.15	212 बांदरी के मुनारा क्रमांक
				22	4.20	42	0.22	172 से कृत्रिम मुनारा क्रमांक
								1 एवं 1 से 14, 14 से आरक्षित
								वन कक्ष क्रमांक 212 बांदरी के
								मुनारा क्रमांक 185 तक.
				9	0.60	43	6.85	दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष
				10	1.20	44	0.14	क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा
								क्रमांक 185 से 180 तक.
								पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष
				योग . .	95.82		38.79	क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा
					या		हेक्टर.	क्रमांक 180 से 176 तक.
					38.79			
					हेक्टर.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-30-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-30-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-30-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2026 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 21st May 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a

reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District-Sagar, Tehsil-Khurai, Division-North Sagar (Territorial), Range-Bandari

S. No.	Name of Forest		Present Category of land	Old Khasra No.	Area		Area in Hectare	Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village			Area Acres	New Khasra No.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Semra Atta	Semra Atta	Protected Forest	1 20 2 11 22 9 10 7	62.49 10.07 8.92 8.34 4.20 0.60 1.20 95.82 or 38.79 Hect.	1 2 10/1 10/2 42 43 44 7	23.75 4.50 1.18 2.15 0.22 6.85 0.14 38.79 Hect.	North —From Pillar Number 176 to 172 of Reserved Forest Compartment Number 212 Bandri. East —From Pillar Number 172 of Reserved Forest Compartment Number 212 Bandri to Artificial Pillar Number 1, and 1 to 14, 14 to 185 of Reserved Forest Compartment Number 212 Bandri. South —From Pillar Number 185 to 180 of Reserved Forest Compartment Number 212 Bandri. West —From Pillar Number 180 to 176 of Reserved Forest Compartment Number 212 Bandri.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-31-2010-दस-3.—चूँकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2949, दिनांक 17 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूँकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारे जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—देवरी, डिवीजन—नौरादेही (व. प्रा.) सागर, रेंज—सिंगपुर

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सिमरिया-ब	सिमरिया	संरक्षित वन	374 383 371/1 85.31 एकड़ या 34.53 हेक्टर.	71.18 1.60 12.53	522/2 534/2 535/2 योग . .	9.94 24.34 0.25 34.53	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सिमरिया के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 10 से 13 एवं मोहली आरक्षित वन सी. नं. 187 के स्तम्भ क्रमांक 13 से 15 तक. पूर्व—आरक्षित वन खण्ड मोहली सी नं. 187 के सर्वे स्तम्भ क्र. 15 से आरक्षित वन खण्ड सिमरिया (ब) के सर्वे स्तम्भ क्र. 1 एवं 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा ग्राम सिमरिया. दक्षिण—कृत्रिम कटी हुई सीमा रेखा ग्राम सिमरिया के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 2 से 4 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी हुई सीमा रेखा ग्राम सिमरिया के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 4 से 10 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-31-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-31-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-31-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2949 dated 17th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District—Sagar, Division-Noradehi (Wild Life) Sagar, Tehsil-Deori, Range-Singpur

S. No.	Name of Forest			Area			Boundaries	
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.		Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Simria-B	Simria	Protected Forest	374 383 371/1	71.18 1.60 12.53 85.31 Acare or 34.53 Hect.	522/2 534/2 535/2 Total	9.94 24.34 0.25 34.53	<p>North—Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 10 to 13 of Village Simariya and Sarvey Pillar No. 13 to 15 of Mohali Reserved Forest Compartment No. 187.</p> <p>East—From Survey Pillar No. 15 of Mohali Reserved Forest Compartment No. 187 to Survey Pillar No.1 & Pillar No. 1 to 2 Artificial cut Boundary line of Village Simariya.</p> <p>South—Artificial cut Boundary Line from survey Pillar No. 2 to 4 of Village Simariya.</p> <p>West—Artificial cut Boundary Line from survey Pillar No. 4 to 10 of Village Simariya.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-32-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 18 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2006, दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—देवरी, वनमंडल—नौरादेही (व. प्रा.) सागर, वनपरिक्षेत्र—नौरादेही

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल			सीमाएँ	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.		क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मोगरा	मोगरा	संरक्षित वन	01/1	76.35 एकड़ या 30.91 हेक्टर.	01	30.91	उत्तर—आर.एफ. भड़रा कक्ष क्रमांक 264 की सीमा सर्वे स्तम्भ क्रमांक 23 से 16 तक. पूर्व—आर.एफ. भड़रा कक्ष क्रमांक 268 की सीमा सर्वे स्तम्भ क्रमांक 16 से कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम मोगरा के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 12 तक. दक्षिण—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम मोगरा की सीमा सर्वे स्तम्भ क्रमांक 12 से 1 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी रेखा ग्राम मोगरा के स्तम्भ क्रमांक 1 से भड़रा आर.एफ. क्रमांक 264 के स्तम्भ क्रमांक 23 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. एफ-25-32-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-32-दस-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. F-25-32-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2006 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 18th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District—Sagar, Division—Noradehi (W. L.) Sagar, Tehsil—Deori, Range—Noradehi

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mongra	Mongra	Protected Forest	01/1	76.35 Acare or 30.91 Hect.	01	30.91	<p>North—R.F. Bhadra Com. No. 264 Boundary from survey Pillar No. 23 to 16.</p> <p>East—R.F. 268 Bhadra survey Pillar No. 16 Artificial cut Boundary Line Village Mogra Pillar No. 12.</p> <p>South—Artificial cut line Village Mogra survey Pillar No. 12 to 1.</p> <p>West—Artificial cut line of Village Mogra survey Pillar No. 1 to Bhadra R.F. No. 264 survey Pillar No. 23.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-25-12-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3592, दिनांक 24 जून 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—केसली, डिवीजन—दक्षिण सागर—वनपरिक्षेत्र—केसली

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सागौनी सुहागपुर (पश्चिम).	सागौनी	संरक्षित वन	123	13.20 एकड़ या 5.34 हेक्टर.	270/1 276 योग . .	5.19 0.15 <hr/> 5.34	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सागौनी सुहागपुर के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 1 से 2 तक. पूर्व—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सागौनी सुहागपुर के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 2 से 7 तक. दक्षिण—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सागौनी सुहागपुर के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 7 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1004 गौरझामर के सीमा स्तम्भ क्रमांक 8 तक. पश्चिम—आरक्षित वन क्रमांक 1004 गौरझामर के सीमा स्तम्भ क्रमांक 8 से 1 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-25-12-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-12-दस-3-2010, दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 18th May 2010

No. F-25-12-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 3592 dated 24th June 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 6th August 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Kesali, Division—South Sagar (Territorial) Range—Kesali

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Saagoni Suhagpur (West).	Saagoni	Protected Forest	123	13.20 Acre or 5.34 Hect.	270/1 276	5.19 0.15	North —Artificial cut Boundearies line from survey Pillar No.1 to 2 of Village Sagoni Suhagpur. East —Artificial cut Boundearies line from survey Pillar No.2 to 7 of Village Sagoni Suhagpur. South —Artificial cut Boundary line from survey Pillar No. 7 to Reserve Forest C.No. 1004 Gorjhamar Boundary Pillar No. 8. West —Reserve Forest C. No. 1004 Gorjhamar Boundary from Pillar No .8 to 1.
Total . .						2	5.34 Hect.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-25-15-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3592, दिनांक 24 जून 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—देवरी, डिब्रीजन—दक्षिण सागर (सामान्य) रेंज—गौरझामर

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पुरैनाकरन	पुरैनाकरन	संरक्षित वन	49	85.15	75	2.19	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 1 से 3 तक. पूर्व—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 3 से 21 तक. दक्षिण—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 21 से 23 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 23 से 31 एवं 31 से 1 तक.
					एकड़	76	0.36	
					या	77	14.94	
					34.45	78	0.36	
					हेक्टर.	81	0.23	
						88	4.05	
						93	0.71	
						100	0.04	
						101	0.04	
						122	11.53	
					योग		34.45	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-25-15-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-15-दस-3-2010, दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 18th May 2010

No. F-25-15-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 3592 dated 24th June 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 6th August 1971, the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District—Sagar, Division—South Sagar (Territorial) Tehsil—Devree, Range—Gorjhamar

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.	Area in Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Purena Karan	Purena Karan	Protected Forest	49	85.15 or 34.45	75 76 77 78 81 88 93 100 101 122	2.19 0.36 14.94 0.36 0.23 4.05 0.71 0.04 0.04 11.53	North —Artificial cut line from survey Pillar No. 1 to 3 of Village Purena Karan. East —Artificial cut line from survey Pillar No. 3 to 21 of Village Purena Karan. South —Artificial cut Boundary line from survey Pillar No. 21 to 23 of Village Purena Karan. West —Artificial cut line from survey Pillar No. 23 to 31 and 31 to 1 of Purena Karan.
				Total . .			<u>34.45</u>	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-25-28-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957, दिनांक 18 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—रहली, वनमंडल—नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर, वनपरिक्षेत्र—मोहली

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	देवलपानी (पश्चिम)	देवलपानी	संरक्षित वन	4	41.20	24 23/1	16.23 0.44	उत्तर—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 5/5 से 7/7 तक. पूर्व—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 7/7 से 13/13 तक. दक्षिण—देवलपानी आरक्षित वन सीमा स्तंभ क्रमांक 13/13 से 16/16 तक. पश्चिम—कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 16/16 से 5/5 तक.
				योग . .	16.67 हेक्टर.		16.67 हेक्टर.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-25-28-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-28-दस-3-2010, दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 18th May 2010

No. F-25-28-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I, dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

District—Sagar, Division—Noradehi (Wild Life) Sagar—Tehsil-Rahli, Range—Mohli

S. No.	Name of Forest			Area			Boundaries	
	Name of forest Block	Name of Village	Present Category of land	Old Khasra No.	Area	New Khasra No.		Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Devalpani (West)	Devalpani	Protected Forest	4	41.20	24 23/1	16.23 0.44	North —Artificial cut Boundary line of Village Devalpani from Demarcated Pillar No. 5/5 to 7/7. East —Artificial cut Boundary line of Village Devalpani from Demarcated Pillar No.7/7 to 13/13. South —Devalpani Reserve Forest Demarcated Pillar No. Boundary from 13/13 to 16/16. West —Artificial cut Boundary line of Village Devalpani from Demarked Pillar No. 16/16 to 5/5.
			Total . .		41.20 Acre or 16.67 Hectare		16.67 Hectare	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. N. PANDEY, Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 6 मई 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	कुण्डियाधागा	0.120	महाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, भोपाल.	फोरलेन सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, आष्टा में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 मई 2010

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	भर्ना	निजी 8.45 शासकीय 10.67 कुल 19.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भर्ना तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पौसी	निजी 2.30 शासकीय 4.00 कुल 6.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जुगवारा तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	टूँडा	निजी 88.22 शासकीय 12.44 कुल 100.66	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रगौली	निजी 4.68 शासकीय 2.70 कुल 7.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	जुगरवारा	निजी 19.50 शासकीय 40.00 कुल 59.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण वेस्ट वियर डूब क्षेत्र स्पिल चैनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रामपुर	निजी 7.98 शासकीय 10.22 कुल 18.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रामपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	गजन्दा	निजी 28.00 शासकीय 9.375 कुल 37.375	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गजन्दा तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	अधराड	निजी 11.63 शासकीय 3.34 कुल 14.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना के अन्तर्गत बौध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बघवार कलां	निजी 28.00 शासकीय 9.00 कुल 37.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत बौध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	किसनपाटन	निजी 26.00 शासकीय 8.35 कुल 34.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत बौध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमिअनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	पटी खेडा	निजी 20.35 शासकीय 5.85 कुल 26.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना के अन्तर्गत बौध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमिअनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	माधोपुरा	निजी 26.18 शासकीय 7.53 कुल 33.71	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना के अन्तर्गत बौध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 17 मई 2010

क्र. 299-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "ए" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	बारोली	1.914	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.	इन्दौर-उज्जैन सड़क परियोजना चार लेन मार्ग पर टोल प्लाजा (16 लेन) के निर्माण बाबद.
		योग :	<u>1.914</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील, सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 301-भू-अर्जन-2010-7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "ए" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	जाख्या	0.035	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.	इन्दौर-उज्जैन सड़क परियोजना चार लेन मार्ग पर टोल प्लाजा (16 लेन) के निर्माण बाबद.
		योग :	<u>0.035</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील, सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 मई 2010

क्र. 1399-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	धोलीखाली	4052.28	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही मुख्य बांध के डूब से प्रभावित कृषकों के मकान जिनकी भूमि 75 प्रतिशत या अधिक अर्जित की गई है.
		योग . .	<u>4052.28</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1397-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	कोटरा चारण	731.06	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही परियोजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.
		योग . .	<u>731.06</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 24 मई 2010

क्र. 1413-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	सुखनेड़ा	5111.86	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही मुख्य बांध के डूब से प्रभावित कृषकों के मकान जिनकी भूमि 75 प्रतिशत या अधिक अर्जित की गई है.
		योग . .	<u>5111.86</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1415-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	केसरपुरा	3997.35	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही मुख्य बांध के डूब से प्रभावित कृषकों के मकान जिनकी भूमि 75 प्रतिशत या अधिक अर्जित की गई है.
		योग . .	<u>3997.35</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 21 मई 2010

क्र.-भू-अर्जन-7-(अ-82) 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंडला	बिछिया	खम्हरिया प. ह. नं. 56	1.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	खम्हरिया जलाशय वेस्टवियर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-8-(अ-82) 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंडला	नैनपुर	गजना प. ह. नं. 5	0.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	पाठासिहौरा जलाशय हेतु .

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 21 मई 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर रकबा (एकड़ में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायसेन	सिलवानी	आमापानी कलों पटवारी हल्का नम्बर 18	63/3/3/2	0.21	सचिव कृषि उपज मंडी समिति गैरतगंज, जिला रायसेन.	मंडी निर्माण हेतु
			63/3/4/2	0.21		
			63/3/3/1	3.65		
			63/3/4/1	3.41		
			कुल योग . .	7.46		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1-अ-82-बोदरा-रम्पुरागढ़ी एवं मनकापुर-2009-2010-भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल ख. क्र. कुल रकबा (हैक्टर में)	अर्जित रकबा (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायसेन	गैरतगंज	बोदरा	13	2.812	0.120	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग, गैरतगंज.
						पटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			15/1	0.760	0.064
			15/2	2.477	0.303
			16/2/1	3.929	0.307
			17/2	2.246	0.142
			80, 81, 84/2	2.876	0.128
			83/1	0.247	0.004
			126/24/1	2.833	0.472
			126/24/2	3.011	0.108
रायसेन	गैरतगंज	रम्पुरा गढी	31/2	1.271	0.182
			36/1/3/2		
			31/2	1.680	0.182
			36/1/4		
			32	1.019	0.120
			33	4.241	0.160
			28/29/1	0.894	0.280
			40/1	1.214	0.004
			28/29/2	3.730	0.024
			29/1	3.052	0.240
			40/2/1	0.809	0.060
			40/2/2	2.073	0.328
			59/33/2/2/1	0.301	0.008
			59/33/2/2	0.020	0.008
			59/33/2/1	0.142	0.020
			59/33/1	0.486	0.020
रायसेन	गैरतगंज	मनकापुर	140/1	1.353	0.004
			140/2/1	3.914	0.385
			141/1	1.560	0.222
			141/1	1.177	0.202
			143/1	0.331	0.024
			143/2	0.129	0.004
			148/7/6/1	0.377	0.008
			148/7/6	0.119	0.048
			योग . .	4.181	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-बासादेही-जलाशय-मुख्य-माईनर नहर-2009-2010-भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप
			ख. क्र.	कुल रकबा (हैक्टर में)	अर्जित रकबा (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	गैरतगंज	बासादेही	23/2/1	0.445	0.004	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग, गैरतगंज.	बासादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			23/3/1	0.122	0.016		
			24/1/1	1.311	0.260		
			24/2/1	2.234	0.532		
			27	1.015	0.284		
			215/92/2	1.416	0.324		
			212/92/1	0.405	0.016		
			108	1.672	0.165		
			87/2	2.205	0.186		
			88/2	2.736	0.216		
			88/1, 88/3	3.919	0.200		
			89/1,	3.245	0.238		
			172, 173,	0.931	0.129		
			174/2				
			175	0.858	0.145		
			177/2	3.645	0.505		
			176	0.182	0.145		
			139	0.551	0.084		
			162/1	0.721	0.223		
			162/2	0.628	0.040		
155	0.356	0.036					
156	0.246	0.073					
157	1.032	0.335					
		योग . .	4.156				
		बांसादेही	215/92/2	1.416	0.272		बांई नहर हेतु
			215/92/1	0.405	0.210		
			92	0.603	0.109		
			214/72/1	0.809	0.109		
			211/62	1.967	0.259		
			62	1.684	0.263		
			50/2/2	2.023	0.068		
			49/1	1.061	0.307		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		बांसादेही 48/1/2/1	1.362	0.279		बांई नहर हेतु.
		47	4.776	0.178		
		217/38	1.768	0.198		
		38	1.327	0.283		
		योग . .		2.535		
	पडरियागढ़ी	36,37,38/1	3.000	0.226		बांसादेही जलाशय की
		36,37,38/2	2.263	0.336		नहर हेतु.
		41	3.056	0.012		
		107	4.375	0.457		
		48	0.886	0.057		
		44	1.513	0.319		
		43	1.781	0.170		
		46	0.352	0.057		
		47	0.692	0.048		
		49/1	0.023	0.190		
		49/2	2.136	0.194		
		146	0.340	0.049		
		132/1	2.837	0.137		
		127/2	0.809	0.060		
		135, 147/3	0.894	0.152		
		145	0.409	0.089		
		135, 147/1	0.898	0.152		
		135,147/2	0.898	0.152		
		129,130,131	2.775	0.335		
		योग . .		3.192		
रायसेन	गैरतगंज	हिनोतिया	25	0.178	0.020	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग गैरतगंज.
			157/1/2	0.728	0.160	बांसादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			166/1/2/1			
			168,			
			169/1/1/2	2.893	0.074	
			168,169/1/1/2,	2.957	0.172	
			166/1/2/1			
			23	0.210	0.110	
			24/1	0.105	0.069	
			166/1/1/1	0.478	0.092	
			171/4	0.482	0.060	
			24/2	0.105	0.077	
			38	0.198	0.089	
			251/178/1	1.642	0.046	
			37	0.239	0.105	
			27,36/1/1	1.564	0.089	
			61	0.231	0.004	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		62	0.401	0.137	
		157/2/1/1	0.405	0.152	
		159/2	2.355	0.160	
		34/1	4.358	0.210	
		155	0.594	0.020	
		158/1	2.428	0.390	
		166/1/1/2	0.340	0.160	
		166/1/2/1	2.521	0.062	
		167, 169/1/1/2			
		170/1/1/1	3.642	0.250	
		171/3	1.619	0.121	
			योग . .	2.829	
			कुल योग . .	12.712	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 24 मई 2010

क्र. 1016-भू-अर्जन-2009.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	पिडरवाह (पटवारी हल्का बंधा- (3)	0.80	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.	पावर प्लान्ट के लिये कोयला उत्खनन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1018-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	अमिलिया (पटवारी हल्का अमिलिया- 4)	26.25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.	पावर प्लान्ट के लिये कोयला उत्खनन हेतु बुनियादी संरचना के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1020-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	बंधा (पटवारी हल्का बंधा- 3)	1.38	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.	पावर प्लान्ट के लिये कोयला उत्खनन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मई 2010

क्र. 4350-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का वर्णन (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सतनूर ब. न. -376 प. ह. न. -23 रा.नि.मं.-सौंसर	11.603 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	उप महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के लिये एकीकृत जांच चौकी (चैक पोस्ट बेरिचर) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, उप-महाप्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2010

करारनामा

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 30 मार्च 2010 को न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 92 अकाश नीम मार्ग डी. एल. एफ. फेस.-2, गुणगांव, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दीपक चन्देल जिन्हें आगे प्रथम पक्ष में कहा गया है एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष में कहा गया है) जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन के आदेश क्रमशः क्रमांक एफ 12-4-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 29 मार्च 2010 के "बिन्दु 4" के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
92 अकाश नीम मार्ग डी. एल.एफ. फेस-2, गुणगांव, नई दिल्ली

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश राजस्व विभाग, के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 1320 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर स्थित ग्राम कोलमी में 213.247 हे. ग्राम रकसा में 263.541 व कुल रकबा 476.788 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है.

1. कंपनी (इस आशय की करारनामों या वचनबद्ध के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थाई योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 का पालन किया जायेगा. कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग के उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदित एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा आवश्यक निर्माण उसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जायेगी इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जन स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जायेगा.
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त परियोजना के लिये नहीं होता है या बाद में बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, संपत्तियां के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने लिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सभी उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकता अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तों का कंपनी द्वारा पालन किया जावेगा.
21. भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जा कर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
22. भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में अभ्यारण क्षेत्र (संचुरी) का कोई हिस्सा नहीं आ रहा है यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
23. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाही जो बाबत शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
24. परियोजना में विस्थापित परिवारों को शिक्षा सुविधायें हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर अनूपपुर एवं न्यू जोन इंडिया प्राईवेट लि., नई दिल्ली के मध्य चर्चानुसार किया जावेगा.
25. पक्षकारों के माध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
26. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
27. शासन की पूर्णानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
28. कंपनी ऐसे कार्यों में जिसमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है स्थानीय लोगों को रोजगार देगी ऐसे कार्यों के लिये विस्थापित परिवारों के लोगों को प्राथमिकता देगी. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधियां संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन सुनिश्चित करायेगी.
29. कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय लोगों को विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगीं.

हस्ता./-

(दीपक चन्देल)

उपाध्यक्ष (अधिकृत हस्ताक्षरी)

न्यू जोन इंडिया प्राईवेट लि.

हस्ता./-

(कवीन्द्र कियावत)

कलेक्टर,

जिला-अनूपपुर (म.प्र.).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 12 मई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—बड़झिरी
(घ) क्षेत्रफल—2.752 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50, 51/1	0.259
50,51/2	1.392
50,51/3 में से	0.227
50,51/5 में से	0.619
140/52/1	0.065
140/52/2 में से	0.190
योग . . .	<u>2.752</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खजुरिया घेंघी जलाशय की डूब क्षेत्र में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 मई 2010

क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—देवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—6.810 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
125	1.100
127/2/1	0.358
127/2/2	0.181
128	0.201
129	0.400
157	0.336
158	0.328
159	0.077
160	1.283
163	0.057
164	1.603
165	0.101
167	0.043
169	0.061
171	0.681

योग . . . 6.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विक्रमपुरा तालाब के भराव हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—बिजाक
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—7.006 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/2	0.729
7	1.311
8	0.117
9	0.061
11	0.239
12	1.676
22/2	1.500
23/1	0.397
29	0.101
31	0.454
32	0.162
33	0.142
35	0.085
34	0.032
योग . .	7.006

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विक्रमपुरा तालाब के भराव हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 20 मई 2010

क्र. 1-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—विक्रमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.443 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
771	0.101
772	0.073
773	0.032
803/1	0.600
803/2	0.192
805	0.117
806	1.328
योग . .	2.443

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विक्रमपुरा तालाब के भराव हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—बिजावर
(ग) नगर/ग्राम—नयाताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.832 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
97	0.010
98/2	0.164
99	0.004

(1)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
100/1	0.124	अनुसूची	
101	0.004		
150	0.060	(1) भूमि का वर्णन—	
151	0.088	(क) जिला—छतरपुर	
152	0.128	(ख) तहसील—चंदला	
162	0.068	(ग) नगर/ग्राम—सराई	
163	0.028	(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.321 हेक्टेयर.	
166	0.098	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
167	0.020	(1)	(2)
168	0.004	162/1	0.120
182	0.100	162/2	0.060
183	0.040	164	0.144
184	0.004	165	0.119
186	0.248	166	0.093
533	0.004	169	0.063
534	0.006	170	0.140
553/1	0.023	186	0.012
553/2	0.023	188/1	0.176
554	0.025	189/1	0.023
555	0.035	189/2	0.023
556	0.080	189/1/1	0.023
557/1	0.048	189/1/2	0.023
557/2	0.048	190	0.087
558	0.108	191	0.055
559	0.124	209/1	0.040
560	0.116	209/2	0.040
		209/3	0.080
		योग . .	1.321

योग . . 1.832

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नयाताल नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बांयी डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत सराई माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्र. 18-अ-32-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

क्र. 19-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—चंदला
 (ग) नगर/ग्राम—लवरहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.109 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
118	0.054
119/1	0.031
119/2	0.031
830	0.003
831	0.052
836	0.099
837	0.108
846	0.192
848/1	0.058
848/2	0.058
849/1	0.020
849/2	0.020
850/1	0.024
850/2	0.024
851/1	0.025
851/2	0.026
853	0.090
854/1	0.054
854/2	0.060
905	0.080

योग . . 1.109

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बांयी डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत लवराहा माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

क्र. 20-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—चंदला
 (ग) ग्राम—पाण्डेयपुरवा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.505 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
72	0.130
73	0.040
75	0.125
76	0.068
77	0.115
78	0.010
79/6/2/8	0.223
79/6/2/5	0.223
84/1/1	0.195
84/1/2	0.195
84/3	0.195
119	0.062
120	0.015
370/2	0.100
423	0.016
424	0.028
425	0.012
427/1/1	0.002
427/1/2	0.002
427/1/3	0.002
428/1	0.056
428/2	0.020
429/1	0.032
429/2	0.032
430/1/1	0.044
430/1/2	0.044
430/2	0.088
431	0.034
435/1	0.042
435/2	0.042
441	0.137
443	0.042
444	0.065
446	0.120
447	0.088
530	0.056
531	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत टेल माइनर हेतु.	(1)	(2)
	238	0.066
	239	0.032
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.	242/1	0.024
	243/2	0.241
	244	0.005
	282	0.045
	586/1/15	0.015

योग . . . 2.265

प्र. क्र. 33-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लौड़ी
(ग) ग्राम—पबाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.265 हेक्टेयर.

अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/1	0.002
11	0.200
12	0.084
13	0.067
15/1	0.223
15/2	0.223
18	0.171
22	0.030
23/1/1	0.038
23/2/1	0.101
24/1/1	0.008
24/1/2	0.008
25/1	0.008
25/2	0.008
220/1	0.025
223/1	0.002
234/1/1	0.024
234/1/2	0.024
234/2	0.247
234/4	0.247
237	0.097

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत टेल माइनर हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—परसेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.645 हेक्टेयर.

अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
312	0.007
348	0.113
349	0.137
350	0.030
353	0.119
354	0.100
360	0.028
357	0.105
368	0.024
369	0.124
371/1	0.012

(1)	(2)
371/2	0.010
371/3	0.005
372	0.115
373	0.013
735/466/1	0.066
283	0.112
467/1	0.119
494	0.082
491	0.010
493	0.110
492	0.068
499	0.105
500	0.119
501	0.059
503	0.145
504/1	0.012
504/2	0.033
506	0.100
626/1	0.061
626/2	0.036
629	0.128
630/1	0.053
633/1	0.047
633/2	0.238

योग . . . 2.645

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की बांयी डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत परसेडी माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 17 मई 2010

क्र. 136-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,

अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—सिंगोली
(ग) नगर/ग्राम—सांवलपुरा (रतनगढ़)
(घ) क्षेत्रफल—0.499 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
202/7 पैकि	
202/8 (क) में से	0.300
202/8 (ख)	
202/9	
204/1 में से	0.199
योग . . .	0.499

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम सांवलपुरा रतनगढ़ के पास आड़ा-ऊण्डा नाले पर निर्माणाधीन पुलिया के पहुंच मार्ग हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 18 मई 2010

क्र. क्यू. भू-अर्जन-105-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-

अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—ईसागढ़
(ग) ग्राम—बरौदिया
(घ) क्षेत्रफल—31.758 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
147/1	0.028
148/1	0.753
148/2	0.565
152/1	0.020
152/2	0.060
152/3	1.045
430/1	0.203
427	0.281
431/1	1.350
431/2	1.125
431/3	1.350
431/4	0.465
434/1	1.425
435/1	1.209
435/2	1.000
434/2	1.187
436/1	0.500
437/1	1.672
437/2	1.672
437/3	1.672
438/1	1.672
438/2	1.672
438/3	1.673
439/1	1.500
440/1	1.500
440/2	1.620
440/3	1.620

(1)	(2)
441/1	1.003
441/2	1.191
442/1क	0.200
442/2	0.525
योग . . . 31.758	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पचलाना बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अशोकनगर, दिनांक 20 मई 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-भू-अर्जन-2009-10-213.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील/तालुक—मुंगावली
(ग) ग्राम—खोपरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
128	0.480
योग . . . 0.480	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कैथन डायवर्सन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 मई 2010

प्र. क्र. 1अ-82 वर्ष 2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) नगर/ग्राम—भटेरा-पटवारी हल्का नंबर 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
136 में से	0.03
137 में से	0.04
138 में से	0.15
योग	0.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बकायन नाला पर पुल के पहुंच मार्ग में आने वाली भूमि एवं मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) दमोह संभाग दमोह में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 मई 2010

क्र. 1395-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. 11/ए-82-2009-10-संशोधन.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 613-भू-अर्जन-10-झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010 द्वारा ग्राम बिजोरी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का कुल सर्वे नम्बर 7, रकबा 1.97 हेक्टर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक-1) की धारा 6 के अंतर्गत तालाब निर्माण से प्रभावित का प्रकरण मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 654, 655 दिनांक 9-4-2010 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया दिनांक 1-4-2010 एवं प्रसारण में दिनांक 3-4-2010 में प्रकाशन हुआ है. जिसका जी नम्बर क्रमशः 23539 है.

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जाए.

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
17	0.53	17	0.53
			विलोपित
		13	0.29
		14	0.24

शेष पृविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 20 मई 2010

क्र. 822-वाचक-प्र. क्र. 68-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—एहमदपुर		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.800 हेक्टर.		233/2/1	0.100
सर्वे नंबर निजी	अर्जित रकबा (हे. में)	233/1	0.140
(1)	(2)	226/2/2	0.060
250/1/1	0.200	229/2/1	0.050
300	0.050	230/2/1	0.120
250/2	0.160	230/1/1	0.100
299	0.060	230/2/2	0.150
250/4	0.330	176/1	0.120
247/2/1	0.050	176/2	0.120
242/1/4	0.140	174/1	0.020
242/1/5	0.030	179/1	0.100
242/2/1	0.100	179/2	0.090
237	0.130	180	0.050
175	0.020	169/2क	0.240
236/1	0.075	169/5क	
291/1/1/4	0.120	63	0.100
236/2	0.100	169/2ख	0.260
291/1/1/2	0.104	169/5ख	
233/6	0.150	169/5ग	0.610
233/5	0.180	292/1	0.100
233/4/1क	0.150	291/1/1/1	0.150
233/4/1ख	0.050	291/1/1/3	0.120
249/1	0.220	291/1/1/5	0.120
291/2/2	0.100	291/2/1	0.200
301	0.250	352/2/2	0.170
302	0.100	349/7	0.010
309/2/1	0.300	132	0.020
306	0.110	158	0.020
348/3/1	0.100	159	0.010
348/3/2	0.100	160	0.100
348/3/3	0.100	133/1	0.215
348/4/1	0.060	133/3	0.060
348/4/2	0.060	134/1	0.210
348/4/3	0.060	138/3	0.150
348/4/4	0.060	138/4	0.150
348/4/5	0.060	139	0.180
348/5	0.100	52/2/5	0.100
352/2/1	0.170	56	0.160
233/4/2	0.100	54	0.040
233/3/1क	0.080	71/1/2	0.120
233/3/1/1ख	0.100	71/4	0.050
233/3/2/2ख	0.100	92/4	0.125
233/2/2	0.100	71/7	0.050

(1)	(2)
71/2	0.200
90/3	0.060
92/5	0.183
72/1	0.056
75/1	0.100
92/2/3	0.070
90/1/1	0.030
89	0.050
140/3	0.340
96/2	0.050
90/2	0.057
92/2/1	0.060
92/2/2	0.090
92/2/4	0.080
90/1/2	0.080
105	0.060
104	0.200
55/2	0.060
308/1	0.045
308/3	0.045
308/2	0.060
308/4	0.045
308/5	0.045
308/6	0.045

निजी खाता भूमियोग . . . 11.800

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—बड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.870 हेक्टर.

सर्वे नंबर निजी	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
70/1	0.435
72/1	0.300
68	0.050
69/1	0.300
69/2	0.310
69/3	0.100
69/4	0.300
63/1	0.260
63/2	0.260
62/1/1	0.170
62/1/2	0.110
62/2	0.125
61/1	0.130
440/2	0.480
441/1	0.180
441/2	0.030
434/1	0.220
436/2	0.194
435/3	0.056
436/3	0.228
435/1/1क	0.185
435/1/1/2ख	0.049
435/5/1	0.105
435/1/1घ	0.036
435/5/2	0.036
435/1/1ड	0.060
435/2	0.152
435/1/3ख/2	0.192
61/2	0.200
83/1	0.580
83/2	0.400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 130735मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 एवं उसकी मायनरों के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 816-वाचक-प्र. क्र. 69-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
60/1/1	0.300	238/5/1	0.368
60/2/3/2	0.180	238/5/2	0.250
58/2	0.040	237/3	0.155
59	0.350	249/1	0.200
34/2/1	0.170	250/1	0.465
35	0.040	250/3	0.240
52/2/2/1	0.420	253	0.195
84/1	0.420	256/2	0.140
86/1	0.120	187/2	0.240
86/2	0.170	186/1/घ/2	0.210
86/3	0.170	187/4	0.140
89/1	0.230	186/1/ड/1	0.100
89/2	0.176	401/3	0.350
89/3	0.294	442/1	0.230
90/1	0.215	440/1	0.220
90/2	0.215	186/1ड/2	0.210
90/3	0.220	186/2	0.100
391/3	0.310	186/1क	0.300
398	0.420		
396/3/1	0.225	कुल योग . . .	19.870
396/3/2	0.225		
396/1/ख	0.225	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 125860 मी. तथा 127840 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 एवं 13 तथा उसकी ब्रांच मायनरा के बीच नहर निर्माण हेतु.	
396/2	0.225		
399	0.330	(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.	
435/1/3ख/1/1	0.040		
435/1/3ख/1/2	0.040	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री; नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.	
435/4	0.056		
434/4	0.220		
131/3/1	0.157		
134/2	0.176		
131/3/2	0.157		
134/1	0.250		
133/1/1	0.264		
133/2/1	0.520		
133/2/2	0.100		
201/1/1ख/2	0.090		
201/1/2ख	0.130		
201/1/3ख	0.190		
201/1/1/ख1	0.344		
238/1	0.400		
238/3/1	0.200		
238/3/2	0.220		
238/4	0.280		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 मई 2010

क्र. 4233-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम दिलावर, मोहगांव, प. ह. नं. 34, ब. नं. 129, रा. नि. मंडल-चाँद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला —0.180 हेक्टर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आने वाले संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
158/5	0.010
161/2	0.170

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर योग . . . 0.180
आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दिलावर मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्र, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव, परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4234-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम सालई छिन्दी, प. ह. नं. 34, ब. नं. 274, रा. नि. मंडल-चाँद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला —0.124 हेक्टर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल. क्षेत्रफल पर आने वाले संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	
158/1	0.048	
159/1	क	
161/1		0.045
162/1		0.031

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित योग . . . 0.124
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दिलावर मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्र, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव, परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4235-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—मोहरखेड़
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम तिवड़ा कामथ, प. ह. नं. 14, ब. नं. 247, रा. नि. मंडल-सांवरी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला —01.406 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल. प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
64/4	0.110
99/7	0.340
174/3	0.049
177/2	0.134
312/1	0.444
313/1	0.106
314	0.223

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित योग . . . 01.406
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तिवड़ा कामथ जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव, परियोजना अनुविभाग क्रमांक-1, पाण्डुर्ना मुख्यालय छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4236-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम पखड़िया, प. ह. नं. 34, ब. नं. 153, रा. नि. मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला —0.521 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल. प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
98	0.409
99/5	0.112

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित योग . . . 0.521
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दिलावर मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, कन्हरगांव परियोजना नहर संभाग क्र. 2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 22 मई 2010

प्र.क्र. 1-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज

(ग) नगर/ग्राम—खैरी, रतनहारी, देहगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल — 27.800 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—खैरी

17/5	0.283
15, 18/5	0.700
15, 18/3	0.036
26/1	0.076
27/1	0.020
26, 27/2/1	0.150
26, 27/2/2	0.154
26, 27/2/3	0.150
26, 27/2/4	0.150
26, 27/2/5	0.150
19	1.360
28/1/1/1	0.186
21/1	0.186
28/1/1/3	0.162
28/1/1/4	0.223
28/1/1/5	0.506
25	0.344
23, 24	0.308
22	0.109
21/2	0.809
147/19	1.416

योग . . . 7.478

(1)

(2)

ग्राम—रतनहारी

2/1/1	0.320
433/257	0.162
2/1/2	0.320
2/2,3	0.522
4/1	0.234
4/2	0.486
414/8	0.044
4/3	0.157
7	0.332
5	0.150
9	0.073
6	0.081
413/5	0.121
419/9	0.040
10	0.178
40/1	0.607
254	0.109
420/10	0.036
421/10	0.028
40/2	0.190
408/40	0.356
253	0.194
255	0.109
434/257	0.971

योग . . . 5.820

ग्राम—देहगवां

313	0.316
316	0.097
221/2/2	0.190
314	0.194
305/1/2/1	0.364
303	0.425
340/304	0.093
304	0.121
332/280	0.134
280	0.453
281	2.185
282	0.388
283	1.231
222/2	1.368
221/3	0.210
305/1/1/1	0.080
305/1/1/2	2.210
221/1/3	0.134

(1)	(2)	(1)	(2)
302	0.125	96	0.303
301	0.318	48/1	1.344
387/217/1	0.227	91/2	0.519
300	0.073	97	1.919
289	1.194	106	0.439
286	0.741	107	0.167
287	0.150	93/1	0.836
288	1.312	93/2	0.418
221/1/4	0.170	92/1/1	3.763

योग . . . 14.502

कुल योग . . . 27.800

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 25 मई 2010

प्र.क्र. 01-ए-82-07-08—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—कुरवाई

(ग) ग्राम—मनैशा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —69.810 हेक्टेयर.

खसरा नंबर अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

48/2

0.976

94

1.987

95

0.449

96	0.303
48/1	1.344
91/2	0.519
97	1.919
106	0.439
107	0.167
93/1	0.836
93/2	0.418
92/1/1	3.763
92/1/2	0.700
92/3	1.317
88	0.530
90	1.000
92/2	1.400
105/5	1.108
99	0.941
91/1	1.497
91/3	0.523
48/3	0.105
108/1	1.098
109/1	1.306
109/2	1.463
113/2/1	0.786
128/1	0.155
108/2	0.480
111	0.899
112	0.408
113/1	0.575
114	4.934
121	2.000
105/1	2.383
115/1	3.229
103/1	1.463
103/2	2.299
103/3	0.909
105/2	1.014
105/4	0.585
103/5	0.418
105/3	1.715
105/6	0.375
102/1	0.593
103/4	1.045
102/2	0.349
87	0.300
86/1	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
214	0.334	105 मि.	0.512
31/2	2.006	198/3	0.037
63/1	0.219	37	0.063
65/1क	0.627	61	0.219
65/1ख	0.428	57/1	0.209
67/1	1.557	90/1	0.100
70	0.815	187	0.074
145/2	0.183	195	0.021
146/2	0.032	196	0.084
158/2	0.032	200	0.146
186	0.157	64	0.794
32/1	1.473	67/2	1.212
36/2	0.596	134/1ख	1.463
32/2	0.199	189/1ख	0.021
33	1.275	190/2	0.104
35/2	0.470	68	1.025
38/1	2.571	69	0.753
58	0.084	94/1	1.209
59/1	1.013	101/1	0.615
60	0.146	121/1	0.366
40	1.003	122/2	0.105
41	0.554	123	0.503
43	0.773	124/1	0.261
48/1	0.063	124/2	1.066
48/2	0.063	124/3	0.449
49	0.569	166	0.188
151/2	0.209	178	0.073
153/5क	0.105	208	0.105
154	0.115	126/1	0.892
161/3	0.105	145/1	0.183
52	1.066	146/1	0.031
53	0.293	188/2	0.199
54	0.523	189/2	0.052
89/2	0.300	212/1	0.199
94/2	0.130	212/2	0.199
101/2	1.115	213/1ख	0.178
119/1	0.062	213/1क	0.177
55	0.564	153/3	0.209
57/2	0.230	105/2	0.377
56	0.397	158/1/1	0.037
104	0.188	198/1	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
158/1/2	0.036	115/1	1.045
132/2/1	0.078	116	0.261
147/1/1	0.309	120/1	1.328
90/2	0.711	120/2	0.627
90/3	0.500	140	0.020
91	0.313	151/1	0.293
177/1	0.052	152	0.293
177/2	0.052	153/5ख	0.104
93/1	0.400	158/3	0.031
95	1.192	159	0.052
96	1.003	161/1	0.250
121/2	0.167	164	0.052
122/1	0.251	165	0.084
126/218/1	0.293	172	0.272
194	0.021	192	0.010
134/1क	1.463	201	0.115
198/2	0.024	115/2	0.701
97/1	0.836	126/2	0.500
97/2	1.003	153/4	0.209
102/2	0.362	90/5	0.346
181/1	0.015	126/3	0.154
102/1	0.362	126/4	0.500
143	0.080	126/10	0.500
163/1	0.188	126/218/3	0.500
162	0.272	215/4क	0.270
181/2	0.016	126/5	0.500
102/3 मि	0.025	126/6	0.500
103/3 मि	0.337	126/7	0.248
106	0.909	126/8	0.500
107	0.909	126/218/4	0.252
157/1	0.084	183	0.052
206	0.094	204/2	0.052
209	0.105	176/1	0.042
108	2.404	126/9	0.500
109	1.369	126/11	1.000
150/1	0.120	126/12	1.000
156/2	0.146	132/1क	0.627
197/1	0.031	132/1ख	1.578
110/1	0.387	133	0.314
110/2	0.209	134/2क	2.000
112	0.230	134/2ख	0.351

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल —26.991 हेक्टेयर.	
		खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
134/2ग	0.554	96/1	1.343
147/2	0.397	95/ 3	0.080
131	1.777	96/2	1.343
135/3	0.570	95/4	0.040
150/2	0.120	97	1.536
157/2	0.084	98/1	1.390
173	0.209	98/2	1.390
174	0.032	98/3	0.320
176/2	0.010	99/1	0.271
179	0.052	99/2	1.641
180	0.021	100	0.784
185	0.084	89/2	2.070
216/1	1.045	104	1.200
216/2	1.045	105	0.550
216/3	1.045	107	2.006
216/4/1	0.836	86/1	0.721
184	0.167	86/2	0.146
132/2/2	0.240	87	1.610
215/1/2	0.457	95/2	0.627
योग . .	<u>115.595</u>	115	0.916
		117/1	0.400
		116/1क	0.638
		116/1ख	0.627
		116/2	0.350
		222	0.290
		73	0.387
		2/1	2.000
		83/9	0.200
		83/7	0.525
		95/1	1.200
		95/5	0.390
		योग . .	<u>26.991</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 23-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—पैगयाई स्पिल चैनल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—324.099 हेक्टर.

सर्वे क्र. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)		
		(1)	(2)
		13/1	0.837
		137/1	0.055
		141/1	0.011
		13/2	0.868
		137/3	0.057
		141/3	0.011
		13/3/1	0.418
		13/3/2	0.389
		71/2	0.005
		13/4	1.324
		85	0.920
		125/1	0.232
		138	0.105
		142	1.087
		15	0.418
		321/2	1.184
		16	1.861
1	1.129	127	0.763
228	0.752	177	1.682
268	0.596	201	2.895
4	3.680	18/1	1.510
5	0.052	18/2	1.897
128/1	0.431	21	2.707
128/2	0.144	22	0.774
176	0.387	23/1	0.608
299	2.248	23/2	0.886
6	1.965	26	0.659
125/3	0.261	198/2/7	0.700
143/3	1.320	28	0.125
144	0.021	29	0.125
7/1	0.963	42	0.334
7/2	0.960	27	0.679
9	0.951	37	0.920
49	1.035	76	0.596
92	0.334	32	0.554
132	0.596	33	0.554
290	1.359	39	0.219
10	0.648	217	0.157
93	1.014	219	0.168
94	0.105	240	0.627
147	1.440	241/2	1.986
11	0.199	2/3/3	1.453
90	0.658	34/1	0.069
167/1	0.736	223/2	0.319
270/2	1.672	225/1	0.650

(1)	(2)	(1)	(2)
34/2	0.070	235/3	1.084
225/2	0.362	56	0.115
34/3	0.070	236/3	0.160
221	0.941	265/3	0.274
35	0.324	301/3	0.183
51	0.063	55/3	0.149
233	1.484	235/1	1.085
52	0.575	236/1	0.159
68	0.345	265/1	0.274
75	0.125	301/1	0.183
227	1.244	55/4	0.149
226	0.261	71/1	0.005
38	0.334	235/2	1.085
95	0.920	236/2	0.159
96	0.752	265/2	0.274
229	0.910	301/2	0.183
231	0.575	57/1	0.105
70/3	0.069	62/1	1.000
40	0.439	261	1.798
232/1	0.355	62/2	0.233
234/3	0.150	63/1	0.946
41	2.101	64	0.334
222	0.575	244/1	0.669
43	0.376	291/2	0.418
81	0.376	63/2	0.946
82	0.042	244/2	0.669
89	0.377	291/1	0.418
198/2/16	0.700	65	0.637
242	1.171	66/1	0.889
44	0.470	71/4	0.037
70/2	0.069	97	0.774
234/4	0.374	98	0.418
45	0.627	224	0.575
48	0.627	66/2	1.045
80	0.261	67	1.035
56	0.836	70/1	0.069
254	0.073	232/2	0.843
257	0.293	70/4	0.069
274	2.090	234/2	0.844
55/1	0.149	70/5	0.069
235/4	1.084	234/1	0.844
236/4	0.159	71/3	0.005
265/4	0.275	148/4	0.665
301/4	0.183	72	0.073
55/2	0.034	78/1	0.031

(1)	(2)	(1)	(2)
78/2	0.199	152/2/3	0.897
79/2	0.010	110/1	0.116
198/2/20	0.700	152/2/2	0.840
79/1	0.005	110/2	0.062
79/3	0.005	111	0.178
79/4	0.010	112	0.136
79/5	0.043	294	1.568
121	0.251	113/1	0.167
164	1.045	286/2/1	0.841
99	0.638	288/1/1	1.000
125/2	0.231	293/1	1.045
134	0.052	288/1/2	1.000
143/2	2.626	293/2	1.045
102/1	0.450	113/2	0.167
170/2	1.004	286/2/2	0.842
206	0.251	115	0.105
102/2/1	0.075	286/2/3	1.672
215/1	0.032	120	0.053
131/2	0.409	122	0.209
207/2/1	0.044	124	0.157
215/2	0.031	208	0.481
102/2/2	0.074	247	0.115
131/3	0.411	178	1.160
207/2/2	0.045	169	1.045
215/3	0.062	119	0.052
102/2/3	0.150	125/4	0.321
207/2/3	0.089	143/1	3.203
102/2/4	0.150	126	0.021
207/2/4	0.088	129	1.672
131/5	0.491	130	2.216
215/4	0.063	133	0.376
131/1	0.418	136/1	0.153
131/4	0.403	287/1	0.174
194/2	0.864	288/2	0.649
194/3	0.836	136/2	0.153
104	0.418	287/2	0.174
116	0.146	288/3	0.649
212	1.484	136/3	0.300
285	0.847	287/3	0.300
105/1	0.637	288/4	0.371
198/1	1.000	137/2	0.055
151/4	0.299	141/2	0.011
152/2/1	0.312		
153/2	0.345		

(1)	(2)	(1)	(2)
239/1	0.940	181/1	2.080
137/4	0.110	181/2	1.150
284	0.878	182	5.321
137/5	0.110	184	0.931
141/4	0.051	183	3.177
146	2.623	185	2.090
148/1	0.765	187/1	2.509
148/5	0.400	190/1	2.544
148/2	0.765	194/5	1.315
148/3	0.765	190/2	1.229
150/1	2.738	186	3.041
151/1	2.826	187/2	1.672
150/2	1.276	188	2.424
151/2	3.286	189	1.129
151/3	0.031	320	2.278
152/1	0.041	325/1	1.656
153/1	0.031	325/2	1.656
155	0.725	194/1	0.863
156	1.338	198/2/4	0.700
157	0.105	197	0.282
158	0.960	198/2/1	0.700
167/2	1.077	198/2/2	0.700
160	1.975	198/2/5	0.700
166	1.631	198/2/9	0.700
162/1	0.973	198/2/3	0.700
162/2	0.825	198/2/6	0.700
322/3	0.147	198/2/8	0.700
163	0.857	198/2/10	0.700
314	2.090	198/2/11	0.700
165/1	1.672	198/2/12	0.700
168	1.861	198/2/13	0.700
192	0.282	198/2/14	0.700
193/1	0.413	198/2/15	0.700
170/1	1.003	198/2/17	0.700
173/1	1.118	198/2/18	0.700
173/2	1.118	321/1	1.602
165/2	1.233	198/2/19	0.700
207/1	0.267	198/2/21	0.700
172	1.296	198/2/22	0.700
175/1	1.095	198/2/23	0.700
175/2	1.900	199	0.397
175/3	1.900	221/4	1.203
155/4	1.905	202	2.749
179	1.693	203/1	0.132
180	0.982	303/1	0.696

(1)	(2)	(1)	(2)
203/2	0.132	276	2.090
303/2	0.696	277	1.317
303/3	0.697	278	1.003
203/3	0.132	283	1.306
209/1	0.272	286/1	1.045
313	0.878	289/2	0.941
209/2	0.564	295/1	1.040
210	0.658	295/2	1.040
214	0.115	296/1	1.464
216/1	0.021	296/2	0.627
216/2/1	0.575	298/2	1.045
279/1	0.523	298/1	0.418
216/2/2	0.575	298/3	0.418
279/2	0.522	298/4	0.627
218	0.031	298/5	0.627
251	0.094	302	1.045
249	0.272	304	1.463
250	0.052	307/1	2.508
256/1	0.403	315	0.826
223/1	1.009	316	3.679
230	0.136	319	2.832
241/1	1.494	321/3	1.602
237	1.254	322/1	0.972
239	1.108	322/2	0.972
260	0.732	324/1	1.306
262	0.136	324/2	1.307
264	0.376	325/3	0.869
266	1.087	326/1	0.788
267	0.931	326/2	1.656
272	1.672	326/3	1.657
246	0.345	308/1	0.418
248/1	0.471	308/2	0.627
256/2	0.036	308/3	0.209
248/2	0.052	308/4	0.836
263	0.732	309	1.159
280/1	0.069	योग	<u>324.099</u>
252	0.669		
280/2	1.169	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़	
280/3	0.852	मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.	
255	0.471	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन	
269/1	0.367	अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर	
270/1	0.314	परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा	
269/2	0.365	सकता है.	
271	1.045	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
275	0.836	योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

(1)	(2)	(1)	(2)
139/1ख/2	0.417	287/1झ	0.399
331/1ख	0.161	287/1ट	0.081
314/1क	0.152	287/1थ	0.081
169	0.077	287/1न	0.061
302/2	0.162	287/1प	0.061
328/2	0.262	287/1भ	0.081
139/1ख	1.291	287/1ष	0.121
146	0.405	287/1फ	0.061
320	0.478	301/1ख	0.164
134/1क/1	0.182	499/2	0.263
509/2	0.178	287/1ख	0.101
503	0.210	287/1च	0.040
139/2क/2	0.607	287/1ज	0.081
438/2	0.485	287/1ठ	0.081
439/2	0.379	287/1ढ	0.121
287/1ग	0.323	287/1ण	0.162
287/1ड	0.040	287/1ब	0.061
287/1त्र	0.162	287/1य	0.081
287/1डू	0.121	287/1र	0.121
287/1त	0.081	287/1व	0.121
287/1द	0.061	287/1स	0.121
287/1ध	0.061	301/1क	0.164
287/1म	0.081	338/1क	0.112
287/1ल	0.121	499/1क/2	0.161
287/1श	0.121	167/1	0.559
287/1क्ष	0.162	259/1	0.509
338/1ख	0.112	292/1	0.558
342/1क	0.049	294/1	0.390
509/1	0.178	311/1	0.431
142	0.498	314/2	0.133
149	0.081	305	0.737
155	0.737	151	1.291
308	0.372	336	1.100
506	0.364	167/2	1.796
333	1.117	259/2	0.509
523	0.295	292/2	0.559
282/1	0.109	294/2	0.391
287/1क	0.101	311/2	0.431
287/1घ	0.040	314/3	0.133
287/1ङ	0.081	241	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
303/2	0.129	277	1.457
280	2.537	499/1क/1ख-2	0.623
287/3	3.646	166	0.559
301/3	0.331	510/3	0.324
338/3	0.335	490	0.182
133	3.941	288/1ख	0.226
136	0.518	515/2	0.272
312	0.336	263/2ग	0.151
520	0.255	307/2ख	0.716
139/2क/1	0.644	137	0.040
156	0.312	138/1क	0.469
339	0.441	164	0.178
479	0.737	221	0.251
159	1.226	296	0.478
220	0.154	298/2	0.810
330	0.340	141/3	0.222
332	0.113	511	0.405
525	0.320	250	1.732
498	2.132	291/1	0.798
530	1.011	271	0.809
531/1	0.809	502	0.376
531/2	1.089	504	0.401
535	0.202	170/1	0.121
390	0.291	325	0.251
473/1	0.170	158	1.161
473/2	0.162	521	0.247
478/1	0.388	227/1	1.684
478/2	1.000	323/2	0.138
478/3	1.388	263/2घ	0.157
478/4	1.388	307/2ग	0.716
483	0.845	278	0.793
318	0.506	225/2	0.809
341/1क	0.537	254/1	1.214
341/1ख	0.413	148	1.096
341/2	0.061	512/2	0.154
344	0.401	281	0.202
346/1	0.768	284	0.405
346/2	0.304	231	0.717
352	0.332	223/3	0.110
163	0.405	240	0.543

(1)	(2)	(1)	(2)
245	0.526	235	1.906
324/1	0.223	254/2	1.335
307/3ख	0.494	323/1	0.085
285	0.809	157/2	0.607
140	0.121	268/2	0.405
162	0.405	273/2	0.809
263/2ख	0.152	225/1	0.453
246/1ख	0.624	283/1	0.497
135	0.077	288/1क	1.581
190	0.081	297/1	0.627
180	0.725	263/2क	0.153
326	1.283	307/2क	1.432
494	1.263	516	0.206
262	1.785	256	0.421
270	1.586	257	0.632
335	0.887	288/2	0.243
512/1	1.351	289	1.287
157/1	2.878	291	0.485
268/1	0.591	298/1	1.816
273/1	3.362	321	0.271
265	4.035	307/3क	1.914
319	0.926	293	1.550
495	0.506	295	0.717
497	2.650	274	0.202
510/1	3.234	246/1क	1.250
524	0.304	183	0.498
170/2	0.825	267	1.562
510/2	0.274	519	0.028
329	0.829	515/1क/3	0.094
227/2	0.506	518/1ग	0.040
291/3	0.405	316	0.393
508	1.044	233	8.878
518/1ख	0.039	283/2	0.498
515/1क/1	0.095	288/1क/2	2.318
223/1	0.405	297/2	0.627
263/1	0.607	337	1.842
303/1	0.809	501	0.474
307/1	2.494	228	0.421
493	3.865	234	1.428
276	0.721	249	3.141
224	0.551	182	0.559

(1)	(2)	(1)	(2)
184	1.108	475	0.138
226	6.495	477	0.437
255	1.971	481	2.456
266	6.629	150	2.481
317	0.275	160	0.433
500	2.800	161	0.926
515/1क/2	0.095	239	0.271
518/1क	0.039	243	0.231
306	0.283	251	1.068
309	2.748	322	0.470
517	0.243	334	0.182
154	0.757	343	0.247
185	0.721	345	0.729
242	0.069	347	2.306
261	1.449	350	0.793
186	0.263	351	0.263
189	0.514		
230	1.189		
247	0.793		
253	0.409		
514	0.368		
286	1.522		
300	2.088		
269	0.154		
275	3.699		
315	0.567		
327	0.781		
480	0.397		
505	0.543		
526	0.356		
527	0.506		
529	3.941		
532	1.376		
533	1.513		
534	1.736		
562	0.198		
353	0.279		
354/1	0.093		
354/2	0.178		
355	0.308		
356	1.123		
474	0.405		

योग : 254.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—विद्युत् उत्पादन एवं टउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 6272-10-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर, पटवारी हल्का नं.—36, ज.नं. 123, रा.नि.मं. फुन्गा.

(ग) ग्राम का नाम—कोलमी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—221.826 हेक्टेयर.

न्यू जोन इण्डिया ताप विद्युत् परियोजना के लिए अर्जित की
जाने वाली भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	(1)	(2)
		713/1	0.526
		713/2	0.526
(1)	(2)	716	0.837
504	0.405	718	0.607
509/1/क	1.507	721	0.716
509/1/ख	0.405	722/1	0.028
509/2	1.505	722/2	0.029
509/2/क	0.405	722/3	0.028
518/1	0.034	722/4	0.028
518/2	0.050	723	0.259
518/3	0.050	735	0.320
519	0.202	737/1/क	0.306
553	0.061	737/1/ख	0.365
554	1.028	737/1/ग	0.132
563/1	0.177	737/1/घ	0.318
563/2	0.081	737/1/ङ	0.340
563/3	0.128	737/2	0.890
563/4	0.129	737/3/क	0.212
572	0.530	737/3/ख	0.221
573/1	0.247	737/4/क	0.053
573/2/क/1	0.002	737/4/ख	0.048
573/2/क/2	0.121	737/5	0.192
573/2/ख	0.122	737/6	0.505
575	0.069	737/7	0.089
582	1.003	737/8	0.106
587/1	0.202	737/9	0.324
587/2	0.639	737/10	0.133
611	0.425	737/11	0.110
614	0.441	737/12/क	0.509
617	0.510	737/12/ख	0.509
618	0.745	737/13	0.502
619	0.632	737/14	0.433
628	0.295	737/15	0.140
629	0.174	737/16	0.300
632/1	0.142	737/17/क	0.170
632/2	0.121	737/17/ख	0.170
632/3	0.119	737/18	0.110
632/4	0.102	737/19	0.140
632/5	0.119	737/20	0.120
712	0.361	737/21/क	0.038
		737/21/ख	0.039

(1)	(2)	(1)	(2)
737/22	0.296	1036/1/क	0.809
737/23/क	0.075	1036/1/ख	0.607
737/23/ख	0.166	1036/2/क	2.023
737/24	0.502	1036/2/ख	0.140
738/1	0.223	1036/2/ग	0.140
738/2	0.223	1036/2/घ	0.140
742/1	0.198	1036/2/ङ	0.140
742/2	0.198	1036/3	2.023
742/3	0.198	1036/4	1.214
742/4	0.315	1037	0.930
742/5	0.068	1041	0.061
742/6	0.068	1042/1/क	0.105
742/7	0.068	1042/1/ख	0.052
1000	0.809	1042/2	0.106
1001	3.605	1042/3	0.105
1006	0.837	1042/4	0.105
1008	0.271	1045	1.858
1009	1.291	1047	1.789
1016/1	0.202	1069/1	5.891
1016/2	0.202	1069/2	0.910
1019/1	0.404	1069/3	0.950
1019/2	0.405	1070/1	2.051
1020	0.713	1070/2	0.930
1021	1.914	993	0.854
1022/1	0.442	637	0.324
1022/2	0.885	505	2.509
1022/3	0.442	1077/1	0.625
1026/1/क	0.273	1077/2	0.156
1026/1/ख	0.274	501	2.063
1026/2	0.127	507/1	7.480
1030/1/क	0.060	507/2	0.809
1030/1/ख	0.060	508/1/क	1.805
1030/1/ग	0.060	508/1/ख	0.388
1030/1/घ	0.060	508/2	0.405
1030/2/क	0.115	510	0.486
1030/2/ख	0.115	511	0.445
1031	0.405	512	0.809
1035/1	1.042	513	1.724
1035/2	0.520	514/1	0.531
1036/1	2.245	514/2/क	0.097
		514/2/ख	0.097

(1)	(2)	(1)	(2)
514/3	0.425	562	0.077
514/4	0.061	564	0.595
514/5	0.060	566	0.255
514/6	0.352	567	0.967
514/8	0.320	568	0.344
515	0.287	569/1	0.514
516	0.117	569/2/क	0.069
517	7.948	569/2/ख	0.069
545/1	0.313	570/1	0.172
545/2	0.104	570/2	0.200
546/1	0.089	571	0.866
546/2/क	0.028	574/1	0.098
546/2/ख	0.029	574/2	0.036
546/3	0.077	576	0.073
547	0.963	577	0.445
548/1	0.182	578/1	0.050
548/2	0.065	578/2	0.067
549	0.202	579/1	0.032
550	0.749	579/2	0.195
551	0.251	580/1	0.300
552	0.583	580/2	0.287
555	0.757	581/1/क	0.108
556/1	0.790	581/1/ख/1	0.474
556/2	0.040	581/1/ख/2	0.463
556/3/क	0.072	581/1/ग	0.162
556/3/ख	0.073	581/2	0.242
556/4	0.109	583	0.315
556/5	0.218	584	0.170
556/6/क	0.119	585	0.206
556/6/ख	0.119	586	0.223
556/7	0.048	588/1	0.756
556/8	0.072	588/2	0.592
556/9	0.344	589	0.097
556/10	0.145	590	0.158
556/11	0.393	591/1	0.160
556/12	0.266	591/2	0.200
557	1.740	592	0.097
558	0.085	593	0.113
559	0.069	594	0.352
560	0.121	595	0.134
561	0.283	596	0.125

(1)	(2)	(1)	(2)
597	0.138	663/1/घ/3	0.172
598	0.146	663/1/ड/1	0.202
599	0.097	663/1/ड/2	0.202
600	0.721	663/1/ड/3	0.202
601	0.077	663/1/ड/4	0.203
602	0.089	663/2	0.566
603	0.045	700	0.271
604	0.267	705	0.202
605	0.425	708	1.113
606	0.008	709	0.105
607/1	0.040	710	0.425
607/2	0.049	711/1	0.105
608	0.186	711/2	0.801
609	0.113	715/1/क	0.262
610	0.178	715/1/ख	0.733
612	0.364	715/2	0.320
613/1	0.102	715/3	0.085
613/2	0.400	715/5	0.145
615/1	0.080	715/8	0.040
615/2	0.216	715/10	0.161
615/3	0.137	715/11	0.162
616	0.275	717	0.753
620/1	0.995	719/1	0.047
620/2	0.405	719/2	0.095
621	0.162	719/3	0.171
622	0.223	719/4	0.080
623/1	0.086	719/5	0.477
623/2	0.100	719/6	0.783
624	0.085	719/7	0.443
625	0.040	720	0.405
626	0.283	724	1.153
627	0.388	725	0.158
630	0.134	726	0.162
631/1	0.113	727	0.287
631/2	0.049	728/1	0.128
663/1	0.516	728/2	0.200
663/1/क	1.214	729	0.206
663/1/ख	1.717	730	0.539
663/1/ग	1.227	731/1	0.123
663/1/घ/1	0.061	731/2	0.043
663/1/घ/2	0.172	732	0.239

(1)	(2)	(1)	(2)
733	0.425	1039	0.559
734	0.725	1040	0.243
736	0.934	1043/1	0.263
1002/1	0.279	1043/2	0.413
1002/2	1.011	1043/3	0.206
1005	4.921	1043/4	0.251
1007	1.870	1044/1/क	0.445
1010/1	0.607	1044/1/ख	0.202
1010/2	0.379	1044/2/क	0.303
1010/3	0.228	1044/2/ख	0.304
1011/1/क	0.074	1044/2/ग	0.303
1011/1/ख	0.075	1044/2/घ	0.304
1011/2	0.627	1044/3	0.607
1011/3	0.817	1044/4	0.607
1011/4	0.798	1044/5	0.182
1012	0.494	1046/1	0.631
1013	1.141	1046/1/क	0.243
1014/1	0.554	1046/2	0.405
1011/2	1.146	1046/3	0.233
1014/3	0.592	1046/4	0.233
1017	0.219	1048/1	0.303
1018	0.324	1048/2	0.633
1025/1	0.607	1050	0.368
1025/2	0.607	1051	1.615
1024/1	0.223	1052/1	0.202
1024/2	0.405	1052/2	0.555
1025/1	1.323	1053	4.280
1025/2	0.442	1054/1	0.605
1027	0.441	1054/2	0.018
1028/1	0.186	1054/3	0.018
1028/2	0.024	1055/1/क	0.091
1028/3	0.222	1055/1/ख	0.091
1028/4	0.393	1055/2	0.263
1029/2	1.226	1055/3	0.340
1031	0.405	1055/4	0.105
1033	0.591	1055/5	0.287
1034	0.652	1055/6	0.243
1038	0.603	1055/7	0.733

(1)	(2)	(1)	(2)
1055/8	0.223	1071/1/क	0.328
1055/9	0.433	1071/1/ख	0.192
1055/10	0.340	1071/2	0.130
1055/11	0.256	1071/3	0.139
1055/12	0.595	1072/1	0.356
1055/13	0.384	1072/2	0.389
1055/14	0.454	1073	0.615
1055/15	0.607	999/1क	0.165
1055/16/क/1	0.204	999/1ख	0.065
1055/16ख	0.101	999/1ग	0.107
1055/16/क/2	0.032	999/2	0.337
1055/17/क	0.145	999/3	0.343
1055/17/ख	0.037	636/1	0.113
1055/18	0.308	636/2	0.146
1055/19	0.073	383/1	1.966
1055/20	0.073	383/2	1.730
1055/21	0.073	383/3	1.254
1056	0.243	383/4	0.161
1057/1	0.324	482/1	2.096
1057/2	0.526	482/2	0.202
1058	2.683	1075/1	0.272
1059	9.304	1075/2	0.133
1060	0.113	1078	0.841
1061	0.607	1079/1	0.453
1062/1/क	0.752	1079/2	0.761
1062/1/ख	0.291	1080	1.619
1062/2	0.621	1082/1	0.971
1062/3/क	0.337	1082/2	0.405
1062/3/ख	0.338		योग : 221.826
1062/4	1.513		
1063/1	2.890	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
1063/2	0.809		
1064	0.547	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान)भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1065/1	0.567		
1065/2	0.093		
1066	0.753		
1067	0.789		
1068	0.368		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2010

शुद्धि-पत्र

प्र.क्र. 6273-दस-भू-अर्जन-2010.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 3611-दस-भू-अर्जन-2010, दिनांक 30 मार्च 2010 का प्रकाशन दिनांक 2 अप्रैल 2010 में पृष्ठ क्र. 589 से 597 पर किया गया है जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

ख. न.	रकबा नं.	कुल अर्जित रकबा	ख. न.	रकबा नं.	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
134/1क	0.182	0.182	134/1क/1	0.182	0.182
139/1ख/2	0.317	0.317	139/1ख/2	0.417	0.417
139/1क/2	0.607	0.607	139/2क/2	0.607	0.607
165	0.119	0.119	165	0.129	0.129
167/1	1.796	1.796	167/1	0.559	0.559
170/1	0.421	0.421	170/1	0.121	0.121
227	1.684	1.684	227/1	1.684	1.684
242/2	0.096	0.096	242	0.069	0.069
254/1	0.214	0.214	254/1	1.214	1.214
287/1भ	0.061	0.061	287/1भ	0.081	0.081
287/1र	0.081	0.081	287/1र	0.121	0.121
287/1स	0.081	0.081	287/1स	0.121	0.121
287/1व	0.129	0.129	287/1व	0.121	0.121
302/2	0.165	0.165	302/2	0.162	0.162
307/1	0.494	0.494	307/1	2.494	2.494
312	0.061	0.061	312	0.336	0.336
313/1क	0.217	0.217	313/1क	0.227	0.227
314/1ख	0.421	0.421	314/1ख	0.121	0.121
331/1क	0.944	0.944	331/1क	0.644	0.644
328	0.263	0.263	328/2	0.262	0.262
352	0.32	0.32	352	0.332	0.332
477	0.527	0.527	477	0.437	0.437
494	1.163	1.163	494	1.263	1.263
499/1क	0.768	0.768	499/1क/1ख-1	0.768	0.768

ख. न.	रकबा नं.	कुल अर्जित रकबा	ख. न.	रकबा नं.	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
499/1क	0.161	0.161	499/1क/2	0.161	0.161
499/1क/1ख	0.623	0.623	499/1क/1ख-2	0.623	0.623
499/2	0.363	0.363	499/2	0.263	0.263
515/1क	0.095	0.095	515/1क/1	0.095	0.095
515/1क	0.095	0.095	515/1क/2	0.095	0.095
531/1	0.089	0.089	531/1	0.809	0.809
538	1.513	1.513	533	1.513	1.513
पुनरावृत्ति					
186	0.198	0.198	-	-	-
257	1.068	1.068	-	-	-
287/1छ	0.016	0.016	-	-	-
319	0.506	0.506	-	-	-

शुद्धि-पत्र

प्र.क्र. 6273-दस-भू-अर्जन-2010.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 3611-दस-भू-अर्जन-2010, दिनांक 30 मार्च 2010 में पृष्ठ क्र. 577 से 588 पर किया गया है जिसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

ख. न.	रकबा नं.	कुल अर्जित रकबा	ख. न.	रकबा नं.	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
560	0.129	0.129	560	0.121	0.121
631/1	0.125	0.125	636/1	0.113	0.113
737/24	0.509	0.509	737/24	0.502	0.502
1036/1/ख	0.809	0.809	1036/1/ख	0.607	0.607
1044/5	0.812	0.812	1044/5	0.182	0.182
1055/10	0.340	0.340	1055/10	0.304	0.304

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधन

खरगोन, दिनांक 1 जून, 2010

क्र. 684-भू-अर्जन-2010.—तहसील भीकनगांव के ग्राम बोरगांव की निजी भूमि क्षेत्रफल 37.714 हेक्टेयर के भू-अर्जन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 799 दिनांक 23 अप्रैल 2010 में जारी दिनांक 3 अप्रैल, 2006 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है, इसे दिनांक 3 अप्रैल 2010 पढ़ा जावे, शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.